न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-129RAAJodhpur2022-79RTA225 Kojusingh ors Vs Giriraj Singh etc

1. कोजुसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह
3. जेठूसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह
4. मालमसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह
5. उदयसिंह पुत्र श्री हुकमसिंह

सभी जाति राजपूत, निवासीगण बापिणी खुर्द तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. गिरीराज सिंह पुत्र श्री विक्रमसिंह
02. निखिलसिंह पुत्र श्री विक्रमसिंह, दोनो नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमती सरोज कॅवर पत्नी श्री विक्रमसिह जाति राव निवासीगण बापिणी खुर्द तहसील बापिणी जिला फलोदी।
03. रूपसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह
04. देवीसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह

जातियान्–राजपूत, निवासीगण बापिणी खुर्द, तहसील बापिणी. जिला फलोदी।

05. तहसीलदार बापिणी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 03 जनवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 543/2020 गिरीराजसिंह व अन्य बनाम कोजुसिंह इत्यादि

———————

उपस्थित–

श्री रोषनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विष्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या दो से चार
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या पांच

नि र्ण य

दिनांक : 13 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 543/2020 गिरीराजसिंह व अन्य बनाम कोजुसिंह इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 03 जनवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के

समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 356/1 रकबा 15.15 बीघा ग्राम बापिणी खुर्द तहसील बापीणी में आवागमन हेतु अपीलांट्स व अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 383 एवं 381 में सें मार्क ए.बी.सी.डी. 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष दिनांक 03 जनवरी 2022 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की अनुपस्थिति में तलब एकपक्षीय मौका रिपोर्ट पर आपत्तियॉ लिये बिना ही एकपक्षीय आदेष पारित कर अपीलाधीन रास्ता प्रदान किया गया है। प्रत्यर्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 354 में से मौजूद है। खसरा नंबर 354 रेस्पोडेंट्स के भाई का ही है। जिस कारण वो अपीलांट्स की भूमि में से नये व लघुतम रास्ते की माँग नहीं कर सकते है। यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा खसरा नंबर 356/1 के लिए रास्ता मांगा गया है, जबकि उक्त खसरा की तरमीम ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश मौका रिपोर्ट के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के खेत के बीच में से रास्ता निकाले जाने का आदेष दिया गया है। जिस कारण अपीलार्थीगण का खेत खराब होने की पूर्ण सम्भावना है।

ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष धारा 251–ए की मंषा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के उपर तामिल सम्यक रूप से नहीं करवायी गयी है तथा दिनाक 03–01–2022 को अन्तिम निर्णय पारित किया गया। दिनांक 04.04.2022 को प्रत्यर्थीगण की माता मौके पर आई तथा रास्ता निकालने की धमकी दी तथा कहा कि हमने आदेश करवा लिया है। जिस पर अपीलार्थीगण दिनाक 05.04.2022 को लोहावट न्यायालय आये तथा नकल हेतु आवेदन किया जो नकल तैयार होकर दिनांक 05.04.2022 को ही प्राप्त हुई, जिसे पढ़ने पर प्रथम बार आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा प्रथम जानकारी से हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 03 जनवरी 2022 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवायी गई है। बाद तामील अपीलांट्स की ओर अधिवक्ता श्री भोमसिंह भाटी द्वारा दिनांक 09.09.2020 को अंडर टेकिंग दी गई। तत्पष्चात अपीलांट्स की ओर से कोई उपस्थित होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम है जो मौके पर चलायमान है एवं आगे ढाणियों तक जाता है। तहसीलदार द्वारा नियमानुसार मौका फर्द तैयार की है तथा मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही निकटतम पाया गया है। मौका फर्द में रास्ता मार्क ए से बी में बिंदु पर आई पर झौपड़े का निर्माण होने से विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता दिया जाना उचित नही समझा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ते का

आदेष पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 08 जनवरी 2021 के अवलोकन मुताबिक प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के आवागमन हेतु मौके पर रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. तथा द्वितीय रास्ता मार्क ई.एफ.जी.एच. सी.डी.। प्रथम विकल्प के रास्ते पर बिंदु आई पर झोपड़ा बना हुआ बताया गया है। इस कारण उक्त रास्ता नहीं दिया जा सकता है। मौका फर्द में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नंबर 385 एवं 381 में सें अपीलाधीन रास्ता मार्क ई. एफ.जी.एच.सी.डी ही लघुतम एवं निकटतम बताया गया है।

अपीलांट्स का उज्र है कि रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु खसरा नंबर 354 एवं खसरा नंबर 381 में से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस संबंध में मौका फर्द के अवलोकन से प्रकट होता है कि खसरा नंबर 385 में सें रास्ता मार्क ई. से एच. तक मौके पर कदीम रूप से चलायमान बताया गया है जो आगे भोमोणी राजपुतों की ढाणिया तक जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नंबर 383 में मौके पर झोपड़ा बना हुआ होने से रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है। साथ ही मौका फर्द में अपीलाधीन रास्ता ही रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु निकटतम रास्ता बताये जाने से अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए की मंषा के अनुरूप मौका फर्द के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेष में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 543/2020 गिरीराजसिंह व अन्य बनाम कोजुसिंह इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 03 जनवरी 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर